न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

भू–हदबंदी वाद सं0–14 / 18–19

मो0 कयुम अंसारी बनाम राजकुमार यादव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारिख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07/04/2021	यह वाद मो0 कयुम अंसारी उर्फ कयूम मियां, पिता–स्व0 मो0 सुभानी अंसारी, सा0–गंधरीया, थाना–चतरा, पो0–उँटा, जिला–चतरा द्वारा भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) (1) के तहत् विक्रेता–मुस्ताक मियां, पिता–स्व0 मो0 महाली अंसारी, ग्राम–गंधरीया पो0–उँटा निबंधित बिक्रय विलेख संख्या–2978 / 2017 दिनांक–09.10.2017 द्वारा क्रेता–राजकुमार यादव, पिता–श्री तुला यादव, ग्राम–जांगी, पो0–देल्हो, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के मौजा–गंधरीया, खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–1430, रकवा–0.25½ एकड मधे 0.06 एकड़ भूमि हस्तानांतरित किये जाने के विरूद्ध स्वयं को Co- sharer/ एरिया रैयत बतलाते हुए प्रथम क्रयाधिकार होने का दावा करते हुए यह आवेदन दायर किया गया है। आवेदन के साथ केवाला की प्रति, भूमि का मूल्य एवं उसका 10% अतिरिक्त आवेदन के साथ निबंधित विक्रय बिलेख की सच्ची प्रतिलिपि तथा कुल राशि–3.30.000.00 (तीन लाख तीस हजार) रूपये कोषागार चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति दाखिल की गई है। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार चतरा में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में अपन पक्ष में लिखित जवाब समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है मैं, नीचे उल्लेखित Co- sharer / साथ लगे हुए जमीन का रैयत मुस्ताक मियां, पिता–स्व0 मो0 महाली अंसारी, जाति–जोल्हा, ग्राम–गंधरीया, थाना–उँटा, जिला–चतरा प्रतिवेदित करता हूँ कि अनुलग्नक–1 में अंकित भूमि का रकवा–0.06 एकड़ भूमि उक्त रैयत द्वारा राजकुमार यादव, पिता–श्री तुला यादव, जाति–ग्वाला, ग्राम–जांगी, पो0–देल्हो, थाना–सिमरिया,	

जिला–चतरा को निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तानांतरित किया गया है, जो कि अरिया रैयत नहीं है। यह है कि मैं हस्तानांतरित प्लॉट का Co-sharer हूँ, इस संबंध में अनुलग्नक–II संलग्न है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पुनः लिखित कथन समर्पित कर उल्लेखित किया गया कि विवादास्पद भूमि निबंधित केवाला संख्या–2978, दिनांक–09.10.2017 ई0 को विपक्षी संख्या–2 राजकुमार यादव खरीद किये है। यह है कि विवादास्पद भूमि का मापी कराया गया तब पता चला कि केवाला संख्या–2978, दिनांक–09.10.2017 में वर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत विवादित भूमि नहीं आता है। इस कारण आवेदक मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। यह है कि आवेदक इस मुकदमा को वापस लेना चाहते है। यह कि आवेदक जमा कीमत राशि वापस चाहते है। उपरोक्त वाद को वापस करने का आदेश प्रदान किया जाय तथा जमा कीमत रकम आवेदक को वापस करने का दया दर्शाया जाय।

उपरोक्त प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता लिखित अनुरोध के आधार पर वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। आवेदक, चलान द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त कर लें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07.09.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

07.09.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.02.17 21:29:36 -08:00
Location: 2401:4900:3c7d:a826:4813:47ca:9b65:19dc